

(नियम 272 देखिये)

कालिक वेतन वृद्धि प्रमाणपत्र

1. प्रमाणित किया जाता है, की नीचे विवरणानुसार सरकारी सेवको ने इस आधार पर की वे स्तम्भ 05 में दर्शाई गई तारीख से, कम से कम एक वर्ष तक विनिर्दिष्ट पदों के धारक होने के कारण, स्तम्भ 08 में दी गई तारीख से कालिक वेतन वृद्धि उपार्जित कर ली हैं। उक्त अवधि में से वेतन-वृद्धि के लिए गणना में ली जाने वाली कार्य से अनुपस्थिति, वेतन बिना छुट्टी पर अनुपस्थिति आदि की अवधि कट दी गई। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक.....से..... तथा दिनांक..... से..... तक की ली गई छुट्टी/छुट्टियों की अवधियों के दौरान जिनकी पिछले पृष्ठ पर उल्लेखित स्थानापन्न सरकारी सेवकों की दशा में वेतन-वृद्धि के लिए गणना की गई है, वे पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य करते रहते यदि वे छुट्टी पर नहीं जाते।
2. प्रमाणित किया जाता है कि नीचे दिए विवरण अनुसार सरकारी सेवको इससे संगलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में उल्लेखित आधार पर दी गई तारीख से कालिक वेतन-वृद्धि उपार्जित कर चुके हैं/करेंगे।

क्रम सं	पदधारी का नाम	कार्यस्थल	अधिष्ठायी या स्थानापन्न	पदों का वेतनमन	वर्तमान वेतन	तारीख जिससे वर्तमान वेतन लिया जा रहा है	वर्तमान वेतन वृद्धि की तारीख	भविष्य में वेतन	कार्य अनुपस्थिति वेतन वृद्धि के लिए गणना में नहीं ली जाती हैं		वेतन बिना छुट्टी और उन व्यक्तियों की दशा में जो स्थानापन्न रूप से पद धरण किए हुए हो, उन सभी प्रकार की छुट्टी, जिनके दौरान, वे उन्हीं पदों पर स्थानापन्न रूप से कार्य नहीं करते रहते	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Paritosh Kumar Singh	के.ज.आ. (मुख्यालय)	अधिष्ठायी	वेतनमन 56,100/- - 1,77,500 (लेवल-10)	56,100	15.03.2023	01.01.2024	57,800				
2	Hemant Gautam	के.ज.आ. (मुख्यालय)			56,100	16.01.2023	01.01.2024	57,800				
3	Bandaru Venkata Rohita	के.ज.आ. (मुख्यालय)			56,100	18.01.2023	01.01.2024	57,800				

Neelam
30/01/24
(चिरंजीव मृधा)

अनुभाग अधिकारी, स्था.-3

प्रतिलिपि:-

1. वेतन एवं लेखा अधिकारी, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. अनुभाग अधिकारी लेखा-III अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
3. सभी संबन्धित अधिकारी